PENCiL पोर्टल

स्रोत: पी.आई.बी

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा **बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986** के प्रावधानों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2017 में PENCiL **(बाल श्रम निषेध हेतु प्रभावी प्रवर्तन मंच)** पोर्टल लॉन्च किया गया था।

- **इस पोर्टल के पाँच प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:**
    - केंद्र सरकार
    - राज्य सरकार
    - ज़िला परियोजना समितियाँ
    - बाल ट्रैकिंग प्रणाली
    - शिकायत कॉर्नर
- **बाल श्रम रोकने हेतु अन्य पहल:**
    - **बाल श्रम: संवैधानिक और वैधिक प्रावधान:**
        - **अनुच्छेद 24** में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता है।
        - **अनुच्छेद 39 में प्रावधान है कि** "श्रमिकों, पुरुषों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य तथा शक्ति के साथ बच्चों के बचपन का दुरुपयोग न किया जाए"।
    - शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)
    - बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
    - कारखाना अधिनियम (1948)
    - राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (1987)
- भारत द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय:
    - न्यूनतम आयु कन्वेंशन, 1973
    - संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC), 1989
    - द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन,1999

//

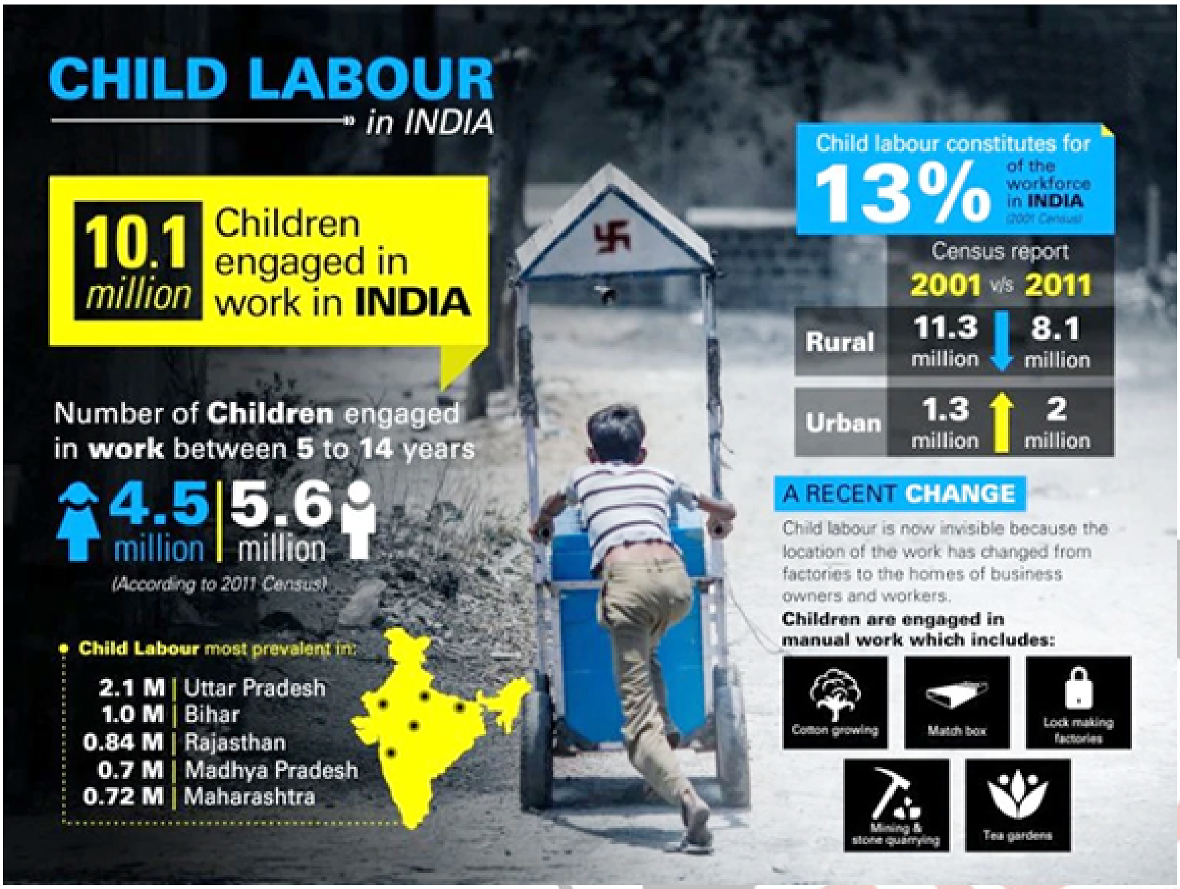

और पढ़ें: [बच्चे और घरेलू श्रम]()

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pencil-portal